



Neutral Citation No. - 2026: AHC:129274

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21680 / 2026**

रियाज़ अहमद..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... विपक्षी पक्ष

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : श्री ए.ज़ेड. खान

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

---

**कोर्ट संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. श्री ए.ज़ेड. खान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से डॉ. एस.बी. मौर्य, विद्वान ए.जी.ए.-I को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन, विचारण की लंबित अवधि के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 47 वर्ष 2026, धारा 303(2), 318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना खतौली, जनपद मुज़फ्फरनगर में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन के अनुसार आवेदक ने धोखाधड़ी करके सूचक के यहाँ से चोरी की है, किन्तु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित चोरी की गई वस्तुएँ स्वीकारतः आवेदक के कब्जे से बरामद नहीं हुई हैं तथा विवेचना के दौरान उसे किसी ठोस साक्ष्य के बिना ही अभियुक्त बना दिया गया है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, तथापि उसका आपराधिक इतिहास स्पष्ट कर दिया गया है तथा दोनों ही मामले लघु प्रकृति के अपराधों से संबंधित हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक **24.04.2026** से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
9. अभियोजन के अनुसार आवेदक ने धोखाधड़ी करके सूचक के यहाँ चोरी की तथा विवेचना के दौरान उसके कब्जे से **₹18,000/-** भी बरामद किए गए, किन्तु यह निर्विवाद है कि सूचक की कथित चोरी की गई वस्तुएँ उसके कब्जे से बरामद नहीं हुईं।
10. इसके अतिरिक्त, सभी आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं तथा उनमें अधिकतम दण्ड **सात वर्ष** का है।
11. इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, किन्तु उसका आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया जा चुका है तथा दोनों ही मामले लघु अपराधों से संबंधित हैं।
12. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक **24.04.2026** से जेल में निरुद्ध है।
13. अतः, उपर्युक्त विवेचित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे मत में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
14. तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
15. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **रियाज़ अहमद** को उपर्युक्त प्रकरण में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक, विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से विधिवत् छूट न प्रदान की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा



जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 25 जून, 2026

शहरोज